सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 5, शुक्रवार, *शाके* 1943–मार्च 26, 2021
Chaitra 5, Friday, Saka 1943- March 26, 2021

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 26, 2021

संख्या डी–1871 एफ.8(2)(2)निर्वा/2021:– भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की दिनांक 26 मार्च, 2021 की निम्न अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ पुनः प्रकाशित की जाती है।

प्रवीण गुप्ता
प्रमुख शासन सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 52/2021/एसडीआर/खंड । दिनांक:26 मार्च, 2021
चैत्र 5, 1943 (शक)

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (सी) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतदद्वारा निर्दिष्ट करता है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक नि:शक्तता (बेंचमार्क) वाले निर्वाचक जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले ही चिह्नित/इंगित किया जा चुका है और जो डाक मतपत्र के द्वारा मतदान करने का अनुरोध करते हैं और जिसके अनुरोध को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सत्यापित किया जा चुका है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-।।।क के उपबंधों, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 3786 (अ.), दिनांक 22 अक्तूबर, 2019 के जरिए यथा-संशोधित, और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए राज्य में लोकसभा एंव विधानसभा के वर्तमान उप-निर्वाचन में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने वाले व्यक्तियों के वर्ग होंगे।

आदेश द्वारा,

एन.टी. भूटिया,
सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.52/2021/SDR/Vol.I

Dated: 26th March, 2021
Chaitra 5, 1943 (SAKA)

NOTIFICATION

In pursuance of the provisions of clause (c) of Section-60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the electors above the age of 80 years and electors with physical disability (benchmark) as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State and, who request for voting by postal ballot paper and subject to the verification of his request by Returning Officer concerned, would be a class of persons to give vote by postal ballot in the current bye-elections to the House of the People and Legislative Assembly in the State notified under Section 30 of Representation of the People, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 3786(E), dated 22nd October, 2019, and the directions and guidelines issued by the Election Commission.

By Order,

N.T.Bhutia,
Secretary

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।